SHRI SURESH KALMADI : Will you appoint a committee to go into this question ?

(Interruptions)

SHRI R. VENKATARAMAN : This should not go on record.

SHRI SURESH KALMADI : I am asking whether some of these accidents are not due to sabotage. You say that this should not go on record. How can you say that ? Earlier also, when I raised the Calling Attention, I mentioned this.

SHRI R. VENKATARAMAN : I have nothing more to answer.

(Interruptions)

SHRI SURESH KALMADI : Do you mean to say that sabotage is such a simple thing that you cannot answer this ? I am walking out in protest.

(At this stage, the hon. Member left the Chamber)

SHRI R. VENKATARAMAN : Sir, finally, I wish to state that whatever the members have said in regard to the number of aircraft, the make of the aircraft and so on, have been on their own responsibility. Government does not confirm any of the statement which has been made by any hon. Member. These things have been said by them on their own responsibility. These may be borne out of guess or these may be borne out of their mental imagination, a flight of their imagination. But so far as Government are concerned, they do not, I repeat, they do not confirm any of the things which have been said by the hon. Members here. The mere fact that I am not specifically denying every one of these things should not be deemed to be or misunderstood to be an acceptance y of these things.

The last point is, so far as sabotage is concerned we have no information and if the hon. Member gives any information, we will investig

Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over. अब सदन की कार्यवाही 2.25 तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at twenty hour minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at twenty-seven minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman, (Shri R. R. Morarka)** in the Chair.

REFERENCE TO THE REPORTED INCREASE IN POWER RATES BY THE U.P. STATE ELECTRICTY BODRD

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब खरीफ की फसल पूरी खराब हो चुकी है, कहीं अत्यधिक वर्षा हुई तो कहीं पर बहुत कम पानी पड़ा है, जिसके कारण एक तरफ सूखा हुआ और दूसरी तरफ बाढ़ आई। खरीफ का उत्पादन करीब 20 लाख टन उत्तर प्रदेश में कम हुआ है इसको बढ़ाने के लिए जो किसानों के सामने समस्या है उसको देखते हुए वह रबी की फसल को अच्छे तरीके से मेहनत करके बढ़ा नहीं सकता। उनके सामने जो समस्यायें हैं उनको दूर करने के लिए जब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक वह बढ़ा पाना सम्भव नहीं है। लेकिन उसके सामने जो सबसे पहली समस्या

[श्री घनश्याम सिंह]

है वह खरीफ की फसल खराब होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई है, उसके पास धन नहीं है। दूसरे चीनी मिलों ने उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना तो ले लिया है लेकिन अभी तक उनका पैसा भुगतान नहीं करने के कारण वह भी पैसा उनके पास नहीं होने के कारण वह कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों रबी की पैदावार के वक्त बेशुमार बरसात हुई जिसके कारण गेहूं की फसल खराब हो गई थी जिसकी वजह से बीज का अभाव आज किसानों के सामने है। तो आज शासन को इन सब चीजों की व्यवस्था करनी होगी, तभी उत्तर प्रदेश के किसान अपनी रबी की फसल की पैदावार बढ़ा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात विशेष रूप से उल्लेख करनी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। वह यह है कि पानी की समस्या से जहां पर सूखा पड़ा है वहां पर नलकूपों से जो बिजली आज कल उत्तर प्रदेश में में मिल सकती है वहां चाहे उन्होंने कहा है कि 3 घंटे या 4 घंटे बिजली मिलती है वैसे कहा गया है कागज में कि 6 घंटे मिलती है लेकिन उसमें इतनी बाधायें हैं जिसके कारण लगातार बिजली न मिलने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने दो तीन दिन पहले यह लिया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने अभी दो दिन पहले बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि 9 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों पर खास तौर से 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है और 15 हार्सपावर के ऊपर 22.5 रुपया कर दिया गया है जिसका सीधा व्यय किसानों पर पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि किसान ही इससे प्रभावित हैं सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं तो मैं उसको बढ़ाने के कारणों और उसके निराकरण के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को प्रति वर्ष काफी घाटा हो रहा है। जिसको पूरा करने के लिये या कम करने के लिये यह विद्युत की दर बढाई गई हैं। जब राज्य विद्युत परिषद् के कार्यकलापों की तरफ ध्यान दिया जाये तो मालूम पड़ता है कि वहां पर एवाइडेबल लासेज है जिन को दूर किया जा सकता है। ऐसी जो हानि हो रही है उसके इम्प्रूवमेंट की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां जो चोरी होती है उसको चैक नहीं किया जाता है। पुअर मैन्टेनेस है जिसके कारण विद्युत गृह ठीक तरीके से नहीं चल पाते हैं। दूसरे इनएफिशियेंट आपरेशन की वजह से भी गड़बड़ियां हो रही हैं। वहां ओवर स्टाफिंग है जिसकी वजह से कास्ट ज्यादा पड़ती है। विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता का सवाल हैं जिसे उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पा रहें हैं। कहने की मंशा यह हैं कि जो हम 18 से 30 परसट तक लासेंज करते हैं विद्युत उत्पादन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम निगाह डालें तो केवल एक आइटम पर शायद 15 करोड़ रुपये की हानि को कम किया जा सकता हैं। जो कि चोरी की है। जहां तक पूअर मैंटेनेस का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूं कि मरम्मत के लिये, वहां के इंजीनियर ने ऐसा कर रखा है कि उनकी खरीद न करके ऐसा स्टाफ खरीद लेते है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरे डनएफिशियेंट आपरेशन का उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

मैं अलीगढ़ जनपद का रहने वाला हूं । वहां पर हरदोई गंज में विद्युत गृह है वहां पर सन् 77 में आपने सुना होगा कि एक धमाका हुआ था, विद्युत गृह में विस्फोट हो गया था । सन् 77 से आज तक वह विद्युत गृह चालू हालत में नहीं किया गया है । वहां करोड़ों रुपये का नुकशान हुआ है । यह हमारी इनएफिशियेंसी की दशा है । चूंकि विद्युत गृह में भी यही हुआ । वहां के कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके कारण से विस्फोट हुआ और करोडों का नुकसान हुआ । ओवर स्टाफिंग की के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं । जो नार्म्स हैं शासन के उन नार्म्स के अनुसार इंस्टाल्ड कैपेसिटी 7.5 व्यक्ति पर मैगावाट रखने का है जबकि इसके विपरीत 12.8 व्यक्ति पर मैगावाट रखे जाते हैं जिससे करीब 18 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो अतिरिक्त लगे हुए हैं जिनकी वहां आवश्यकता नहीं है । मेरी मंशा यह नहीं है कि उन कर्मचारियों को निकाल दिया जाये । मेरी मंशा यह है कि जो हम आगे पावर हाउस लगाने जा रहे हैं उनमें उनको समाया जा सकता है। इस तरीके से जो प्रतिमाह करोड़ो रुपये वेतन के रूप में खर्च किये जा रहे हैं उनको बचाया जा सकता है । जहां तक विद्युत गृहों की क्षमता और उपयोग का प्रश्न है मैं आपको थोड़ा सा ओवरा विद्युत गृह के बारे में बता दूं । वहां की इंस्टाल्ड कैपेसिटी साढ़े तेरह सौ मेगावाट की है । इसमें केवल विद्युत उत्पादन 500 मैगावाट का हो पाता है । इसी के बराबर में रेणुकुट में जो हिंडालको वालों का प्राइवेट विद्युत गृह है वहां पर 90 परसेंट उत्पादन होता है । ये चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर कदम रखा जाये, उनकी तरफ ध्यान दिया जाये तो राज्य विद्युत परिषद् में जो घाटा हो रहा है उसको कम किया जा सकता है और जो भार आज किसानों पर बढ़ाया जा रहा है उस पर विचार किया जा सकता है । मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 28 जून 82 को यह विद्युत गृह है जिसके लिये उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् ने दर बढ़ाते वक्त यह घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया था उस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में दो जुलाई को निकला था कि यह जानकारी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य मंत्री ने संवाददाताओं को दी । उन्होंने कहा कि परिषद् ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की स्वीकृति के बिना किया था । सरकार का विचार है कि इस निर्णय से जनता पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा । इसलिये जो निर्णय जून में लिया गया था रद्द कर दिया गया । बाद में इसमें कहा है और बताया गया है—परिषद् के अधिकारियों ने बिजली की दरों में वृद्धि के लिये पहले से ही एक प्रस्ताव भेजा था। लेकिन मुख्य मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया था । राज्य विद्युत परिषद् अपनी क्षमता का पूरा उपयोग न कर पाने, प्रशासन की शिथिलता तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बड़ा घाटा हो रहा है । परिषद् पर अभी तक कुल मिलाकर 2 हजार चार सौ करोड़ रुपयें खर्च हुए है लेकिन यह करीब 250 करोड़ वार्षिक घाटे पर चल रहा है । मेरे कहने की मंशा सिर्फ यह है कि ये सब चीजें ऐसी हैं अगर इन पर चैक किया जाये तो घाटे को कम किया जा सकता है । एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करूंगा कि जो निर्णय विद्युत दर बढ़ा कर, गरीब किसान तो वैसे परेशान है, सूखे से और दैवी आपत्ति से और दूसरे बहुत से कारणों से, उस पर 50 परसेंट टैक्स

[श्री घनश्याम सिंह]

बढ़ाया गया है इसका औचित्य कोई प्रतीत नहीं होता । इसलिये आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और अपने लासेज को कम करने के लिये और दूसरे बहुत से कदम उठाये ।

REFERENCE TO THE REPORTED POLICE RAIDS ON THE OFFICES OF 'THE INDIAN NATION' AND 'ARYAVARTA'

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज टाइम्स आफ इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित कर देने वाला समाचार देखने को मिला। वह समाचार यह है कि बिहार में दो समाचार-पत्रों, इंडियन नैशन और आर्यावर्त के आफिस में पुलिस की ओर से एक महीने में दो बार रेड्स की गई है । इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ है जिसमें पुलिस को रेड करने से मना किया गया है । आप जानते हैं कि इंडियन नैशन और आर्यावर्त में चीफ मिनिस्टर, बिहार की ओर से मेनका गांधी को जो यह पत्र लिखा गया था कि श्री. रागनाथ सिंह को बिहार में संजय मंच का अधिकारी बनाया जाय, उसकी फोटो स्टेट कापी छापी गई थी। यद्यपि यह बात सिर्फ इंडियन नैशन और आर्यावर्त में ही नहीं छपी थी बल्कि टाइम्स आफ इंडिया, आवजरवर में भी छपी थी, लेकिन रेड सिर्फ इंडियन नेशन और आर्यावर्त के आफिस में की गई । इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कल मना किया था और यह कहा था कि इंडियन नैशन और आर्यावर्त के एडीटर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट के फैसले को इसमें रिजैक्ट कर दिया गया था । इस बीच में पटना में रात्री में यह रेड हुई है । यह रेड इसलिए हुई कि इंडियन नैशन और आर्यावर्त में एक रिपोर्ट छपी कि एक सरकारी गाड़ी का एक्सीडैंट हुआ है जो नवादा के नजदीक हुआ है और जिसमें ड्राइवर मर गया है । उसमें यह भी कहा गया कि शायद ये लोग मुख्य मंत्री के संबंध के लोग थे। इस समाचार के छपने के बाद जब कांटैक्ट किया गया तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया कि यह समाचार गलत है। इस गाड़ी में मेरे कोई संबंधी नहीं थे। इसके बाद यह बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी । परन्तु दूसरे एक व्यक्ति ने जो उसी ड्राइवर के नाम का था, उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, जिन्दा हूं । यह समाचार गलत है । इंडियन नेशन ने इसको इवेस्टिगेट किया और यह सूचना दी कि वह आदमी इसी नाम का है और वह मरा है, यह सही समाचार है। जब यह समाचार छापने के लिए रात्री में तैयार किया जा रहा था, उसका प्रूफ पेज तैयार हो रहा था तो यह रैड की गई जिसमें यह कहा गया कि पटना में एक एफ. आई. आर. पुलिस में लिखाई गई है जिसमें उस व्यक्ति ने यह कहा है कि वह मरा नहीं है, लेकिन इस समाचार के छपने से उसको मैटल टारचर हुआ है । सिर्फ इस दफ. आई आर. के ऊपर यह रैड कर दिया गया और सारे कागज ले लिये गये । इस संबंध में जो रिपोर्ट छपी है उसको मैं पढ़ देता हूं :--

> "Mr. Dina Nath Jha, Editor of the *Indian Nation* said the State Government was adopting crude methods to terrorise the staff of the newspaper. Never before had the State Government been so vindictive."

इस तरह से बिहार में हालत चल रही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ओर तो सारे हिन्दुस्तान में बिहार प्रेस बिल के कारण, बल्कि सारे विश्व में, हल्ला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह जोर-जबरदस्ती की जा रही है। अगर कोई समाचार गलत छपा है तो सरकार उसका कंट्रैडिक्शन दे सकती थी और उसके बाद भी कोई उस समाचार को छापता तो कोई कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन इस प्रकार से जोर-जबर्दस्ती करना गलत है।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): इस तरह की बात बिल्कुल गलत है। इस मामले की सी. बी. आई से जांच करवाही जानी चाहिए।